Dr. REETU RAJ

Assistant Professor

Department of HISTORY

RAJA SINGH COLLEGE SIWAN

(Jai Prakash University Chapra)

Lecture Notes on - **"विजयनगर साम्राज्य के स्थानीय शासन एवं आयंगार व्यवस्था।"**

(for TDC Part 2 HISTORY HONOURS)

विजयनगर साम्राज्य के स्थानीय शासन एवं आयंगार व्यवस्था।

विजयनगर में भी चोलकालीन स्थानीय सभायें- नाडु, महासभा, सभा, उर मौजूद रही परन्तु उनकी विशिष्ट भूमिका नहीं रही।

ग्राम सभाएं –

इस काल में किसी- किसी प्रदेश में सभा और महासभा को अन्यत्र उर और महाजन भी कहा जाता था। प्रत्येक गाँव को अनेक वार्डों या मुहल्लों में बाँटा गया था। सभा के विचार विमर्श में गाँव या क्षेत्र विशेष के लोग भाग लेते थे। इन ग्रामीण सभाओं को नई भूमि या अन्य प्रकार की सम्पत्ति को उपलब्ध करने व गाँव की सार्वजनिक जमीन को बेचने का अधिकार था। ये ग्राम सभाएं राजकीय करों को भी एकत्रित करती थी। ग्राम सभाएँ कुछ दीवानी मुकदमों का फैसला करती थी और फौजदारी के कुछ

छोटे-छोटे मामलों में अपराधी को दण्ड दे सकती थी। बह्मदेय ग्राम की सभा उर कहलाती थी। यद्यपी विजयनगर कालीन बैठकें करती थी।

नाडु-

यह गाँव की एक बडी राजनीतिक इकाई के रूप में कार्य कर रही थी। इसकी सभा को नाडु तथा इसके सदस्यों को नात्तवार कहा जाता था। इसके अधिकार ग्राम सभा की भाँति होते थे परंतु इसका अधिकार क्षेत्र काफी बडा होता था। ये स्थानीय संस्थाएं शासकीय नियंत्रण के बाहर नहीं होती थी। नियमानुसार व्यवस्था न कर पाने पर इन्हें दण्डित किया जा सकता था।

विजयनगर सम्राटों ने नायंकार और आयंगार व्यवस्था का विकास ही विजयनगर काल में स्थानीय संस्थाओं के पतन के लिए पर्याप्त रूप से उत्तरदायी था।

आयंगार व्यवस्था-

आयंगर व्यवस्था ग्रामीण प्रशासन से जुड़ी व्यवस्था है। विजयनगर शासकों ने आयंगर व्यवस्था द्वारा स्थायी

शासन व्यवस्था संचालित की। इस आयंगार व्यवस्था द्वारा स्थानीय संस्थाओं की स्वायतता समाप्त कर दी।
विजयनगर काल में ग्रामीण प्रशासन एक स्वतंत्र इकाई के रूप में प्रत्येक ग्राम को संगठित किया जाता था। जिस पर शासन के लिए बारह शासकीय व्यक्तियों को नियुक्त किया जाता था।ये राजकीय अधिकारी होते थे। इस बारह राजकीय अधिकारियों के समूह को आयंगार कहा जाता था। इन अधिकारियों की नियुक्ति सरकार द्वारा की जाती थी। आयंगारों के पद पैतृक या आनुवांशिक होते थे। आयंगार अपने पदों को बेच या गिरवी भी रख सकते थे। उन्हें वेतन के बदले लगान और कर मुक्त भूमि 'मनियम' प्रदान की जाती थी। गांव में संकेतिक व्यवस्था बनाये रखना इनका प्रमुख कर्त्तव्य था। इन आयंगारों की बिना जानकारी के सम्पत्ति का हस्तांतरण और भूमि अनुदान नहीं किया जा सकता था। इन बारह आयगार ग्रामीण कर्मचारियों में सेनाबो - गाँव का हिसाब रखने वाला, प्रधान लिपिक होता था। 'परुपत्यागार' (करवसूली), बलपूर्वक परिश्रम का कार्य कराने वाला अधीक्षक, राजा महानायकाचार्य नामक अधिकारी के माध्यम से गाँव के अधिकारियों से सम्पर्क बनाये रखता था, तलारी ग्राम का

पुलिस कर्मी या चौकीदार होता था।अत्रिमार नामक अधिकारी ग्रामीण सभा की कार्यवाहियों को नियंत्रित करता था। नट्टनायकार नामक अधिकारी नाडु का अध्यक्ष होता था। यह व्यवस्था ब्रिटिश काल तक चलती रही।

References: Internet & Competitive books.